संख्या :-2427 उन्तीस/04-2(22पे0)/2004

प्रेषक,

बी0पी0 पाण्डेय,
सचिव, पेयजल,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

2) मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

3) निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून

पेयजल अनुभाग देहरादून, दिनांक 31 मई, 2005

विषयः पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सुधार की नीति को सकल क्षेत्र में समरूप (SWAp- Sector Wide approach) अपनाये जाने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत व्यवस्थायें करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना हैं कि पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 622/पं.ग्रा.अ.से.अनु./92(25)/2003 दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के कम में प्रदेश में एकल ग्रामीण पेयजल योजनाओं का नियोजन, निरूपण (Design), कियान्वयन, संचालन, रखरखाव तथा प्रबन्धन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने तथा प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम जल उपभोक्ता एवं स्वच्छता उपसमितियों का गठन किये जाने संबंधी प्राविधान शासनादेश संख्या 2120/उन्तीस/04-2 (22 पे0)/2004 दिनांक 18 अगस्त 2004 में निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त सदर्भित शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2004 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि सामान्यतः एक राजस्व ग्राम अथवा उसके अंतर्गत आने वाली बसायतों में निर्मित होने वाली योजनाओं को एकल ग्राम योजना परिभाषित किया जायेगा । यदि एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाली एक से अधिक राजस्व ग्राम की ऐसी योजनाओं, जिनका प्रबन्धन, ग्राम पंचायत की सहमति से उपभोक्ता समूह के द्वारा किया जा सकता हो, को भी एकल ग्राम की परिभाषा में सम्मिलित किया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2004 में यह भी व्यवस्था की गई हैं कि एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इन योजनाओं हेतु पूंजी लागत में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सेवा स्तर के सापेक्ष उपभोक्ताओं को पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत अंशदान वहन करना होगा। इसी कम में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त 10 प्रतिशत में से अंशदान की राशि का 2 प्रतिशत नकद अंश में तथा शेष नकद अथवा श्रम के रूप में उपभोक्ताओं की स्वेच्छा के आधार पर देय होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु सामुदायिक अंशदान 5 प्रतिशत होगा। जिसमें से 1 प्रतिशत नकद तथा शेष नकद अथवा श्रम के रूप में इन परिवारों की स्वेच्छानुसार होगा।

4. उपरोक्तानुसार एकल पेयजल योजनाओं के स्थायित्व एवं जन सामान्य लाभ के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यकविचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं।

(i) आगामी वित्तीय वर्ष 2006–07 से समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रदेश में मांग आधारित सैक्टर रिफार्म प्रणाली (SWAp) को ही अपनाया जायेगा। अतः सामुदायिक क्षमता विकसित करते हुए समस्त एकल योजनाओं में नियोजन, विरचन, कियान्वयन, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबन्धन पर ग्राम पंचायत व उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों की मुख्य भूमिका होगी तथा सरकारी संस्थाओं की भूमिका सुगमकर्ता (Facilitator) के रूप में होगी।

(ii) उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा पूर्व में निर्मित समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को चरणबद्ध रूप से वर्ष 2005 से 2008 के मध्य ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। इन योजनाओं के हस्तान्तरण से पूर्व ग्राम पंचायतों एवं उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजनाओं की दशा में आवश्यक सुधार करते हुए ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। इस हेतु दोनों संस्थाओं द्वारा एक सुनिश्चित कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही की जायेगी।

(iii) एकल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु समस्त श्रोतों यथा राज्य सरकार , भारत सरकार के स्वजलधारा कार्यक्रम तथा वाह्य सहायतित संस्थाओ से प्राप्त धनराशि को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों के द्वारा व्यय किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायतों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार आदि के कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर नियमित व एकीकृत रूप से संचालित किया जायेगा।

(iv) एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में पेयजल व्यवस्था के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रमों को सकल क्षेत्र में समरूप नीति (Sector Wide approach) के आधार पर

लागू किया जायेगा तथा वर्षा जल संग्रहण हेतु चाल खाल विकसित करना, छतों में वर्षा जल संचय आदि तथा जल समेट क्षेत्रों के प्रबन्धन पर ग्राम पंचायत एवं उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों के सहयोग से अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जायेगी।

5. उपरोक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया हैं कि एकल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु प्रदेश स्तर पर समस्त वित्तीय संसाधनो की मात्राकृत (Earmarking) किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एक समान नीति के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु किया जायेगा। इस धनराशि से निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं पर समान रूप से वित्तीय प्रबन्धन, सामग्री कय प्रकिया व लेखा तथा ऑडिट के प्राविधान लागू होगें।

6. कृपया शासन के उक्त निर्णयो को सभी स्तरो पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या :– 2427 उन्तीस/04–2(22पे0)/2004 तद्दिनांक 31 मई, 2005

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 पेयजल मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. स्टाफ आफिसर अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढवाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल।
11. निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–3।
13. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव